भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न सं0: 96

दिनांक: 29 जुलाई, 2015

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों के लिए तेल कंपनियों की कल्याणकारी योजनाएं**

**\*96. श्री अविनाश राय खन्नाः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेल कंपनियों की परियोजनाओं के आस-पास रह रहे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार/तेल कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत, कंपनी-वार, कितनी-कितनी धनराशि व्यय की है;

(ग) उक्त उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी, कंपनी-वार, ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान)**

**(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।**

\*\*\*\*\*\*\*

**‘अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों के लिए तेल कंपनियों की कल्याणकारी योजनाएं’ के बारे में श्री अविनाश राय खन्ना द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्‍या 96 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर में उल्ल्‍िाखित विवरण।**

(क) और (ख): **तेल कंपनियां परियोजना स्‍थलों के आस-पास रह रहे लोगों जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्‍य पिछड़े वर्ग और अल्‍पसंख्‍यक समुदाय शामिल हैं, के कल्‍याण के लिए अपनी सीएसआर निधि से योजनाएं और कार्यक्रम चलाती हैं। नैगम सामाजिक जिम्‍मेदारी के तहत मुख्‍यत: शिशु देखभाल और शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्‍ति योजना, स्‍वास्‍थ्‍य रक्षा, पेयजल, कौशल विकास, बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्‍वच्‍छ विद्यालय अभियान, स्‍कूल शौचालयों का निर्माण, व्‍यावसायिक प्रशिक्षण, सामुदायिक विकास, महिला सशक्‍तीकरण, कला, खेलकूद, साहित्‍य और संस्‍कृति को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाता है। इन योजनाओें/परियोजनाओें में समाज के सुविधाओं से वंचित, अधिकारविहीन, उपेक्षित और कमजोर वर्गों के कल्‍याण/विकास पर भी ध्‍यान दिया जाता है।**

 **वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में पूरे देश में परियोजना स्‍थलों के आस-पास रह रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्‍य पिछड़े वर्ग और अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के कल्‍याण/विकास पर विभिन्‍न तेल पीएसयूज द्वारा किया गया व्‍यय निम्‍नानुसार है:**

 **(रू0 करोड़ में )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.****सं.**  | **तेल पीएसयूज का नाम**  | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** |
| 1 | आईओसीएल | 6.75 | 8.44 | 9.23\* | 13.00\*\* |
| 2 | ओएनजीसी | 5.23 | 4.74 | 6.00\* | 6.00\*\* |
| 3 | एचपीसीएल | 9.38 | 11.80 | 15.44 | 6.04\*\* |
| 4 | एनआरएल | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 0.26 (जून, 2015 तक) |
| 5 | बीपीसीएल | 0.95 | 2.26 | 4.00 | 2.50\*\* |
| 6 | बामर लॉरी लिमिटेड | 3.03 | 1.87 | 3.06 | 2.17 |
| 7 | एमआरपीएल | 0.07 | 0.00 | 0.07 | शून्‍य |
| 8 | सीपीसीएल | 1.59 | 0.81 | 0.92 | 0.10(जून, 2015 तक) |

**नोट**: (1) **\*** - अनन्‍तिम (2) **\*\*** - 2015-16 के लिए आबंटन

(ग) से (ड़.): **ओएनजीसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए घटक योजना के तहत निधि के संबंध में ओएनजीसी के कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने सरकारी पद का दुरूपयोग करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आबंटित निधियों की गड़बड़ी करने के लिए उनके विरूद्ध सीबीआई द्वारा वर्ष 2012 में आईपीसी और पीसी अधिनियम के तहत एक मुकदमा सं0 5/6/12 दर्ज किया गया था। जांच के बाद सीबीआई ने ओएनजीसी के एक कर्मचारी के विरूद्ध भारी दंड की कार्यवाही और 03 कर्मचारियों के विरूद्ध हल्‍के दंड की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की थी। ओएनजीसी ने कर्मचारी को निलंबित कर दिया और उसके विरूद्ध न्‍यायालय की कार्रवाई के लिए अभियोजन की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध भारी दण्‍डात्‍मक अनुशासनिक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।**

**\*\*\***